राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1781/2010/अलवर

मैसर्स आर.सी. ऑयल इण्डस्ट्रीज़
बड़ौदा मेव, अलवर .....अपीलार्थी
बनाम
वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया,सदस्य

उपस्थितः:
श्री एस.के. जैन ,अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक :– 22/12/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 4/आरवैट/2010–11/उपा/अपील्स/प्रथम/अलवर निर्णय दिनांक 24.06.2010 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के आदेश की पुष्टि की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का सर्वेक्षण दिनांक 17.12.2009 को किया गया था तथा व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों की जांच तथा माल के भौतिक सत्यापन पर 192.77 क्विन्टल सरसों लेखा पुस्तकों में घोषित मात्रा से अधिक पाई गई तथा 133.54 क्विन्टल सरसों खल लेखा पुस्तकों में घोषित मात्रा से कम पाये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 61, 75(8) के अन्गर्गत आदेश दिनांक 26.03.2010 द्वारा कर 29490/– रूपये, शास्ति 124212/– रूपये कुल 153702/– रूपये की मांग सृजित की।

3. उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उनके आदेश दिनांक 24.06.2010 द्वारा अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय प्राधिकारी ने पाया कि 192.77 क्विन्टल अधिक पाई गई सरसों के सम्बन्ध में बाद में बिल पेश करना, शपथ पत्र पेश करना आदि तथ्य विरोधाभाषी हैं क्योंकि वक्त सर्वेक्षण अपीलार्थी द्वारा बताया गया था कि उसके द्वारा पूरे माल का इन्द्राज नकल बही में दिनांक 16.12.2009 तक कर लिया गया था और इसके बाद कोई खरीद बिक्री

लगातार.....2

नहीं की गई थी। अतः अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति के संदर्भ में अधिक पाई गई सरसों पर आरोपित कर व शास्ति को विधि सम्मत पाया, द्वितीयतः, लेखा पुस्तकों में घोषित मात्रा से कम पाये गये माल सरसों खल 133.54 क्विन्टल में अपीलार्थी द्वारा यह निर्णित किया गया है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके व्यवसाय के मुख्य परिसर के अलावा अन्य कोई गोदाम नहीं है। अतः नोटिस दिये जाने के पश्चात् या अपील स्तर पर यह दलील देना कि एक गोदाम जो उसी परिसर में स्थित था, का स्टोक नहीं लिया गया था, विरोधाभाषी कथन होने के कारण इस बिन्दु पर भी अपील अस्वीकार की गई।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया है कि सर्वेक्षण दिनांक 17.12.2009 को केवल जांच रिपोर्ट तैयार की गई है तथा जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के कोई बयान नहीं लिये गये थे तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष पेश करने हेतु अवसर भी नहीं दिया गया। अतः धारा 75(1) की पालना में अवसर नहीं दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है।

5. विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अभिकथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रत्युत्तर के साथ शपथ पत्र तथा अन्य सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिन पर सक्षम अधिकारी ने विचार किये बिना या उनका परीक्षण किये बिना ही इनको अस्वीकार कर दिया। अतः पूरी कार्यवाही अविधिसम्मत है। यह भी कथन किया कि निरीक्षण रिपोर्ट पर सर्वे दल के एक सदस्य श्री एल.एन. गुप्ता के हस्ताक्षर नहीं है तथा सर्वेक्षण की सम्पूर्ण कार्यवाही अविधिसम्मत है। साथ ही यह अभिकथन किया कि दिनांक 26.03.2010 को भी निर्धारण अधिकारी द्वारा जो जांच रिपोर्ट बनाई गई है उसी दिन कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया है तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है।

6. अपीलार्थी द्वारा अपना पक्ष उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट पर जांच दल के 3 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तथा अधिनियम या नियमों में इस प्रकार की कोई आवश्यकता उल्लिखित नहीं है कि सर्वेक्षण दल के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर जांच रिपोर्ट पर कराये जायें। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बिन्दु पर उनका कथन है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 08.02.2010 को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जांच रिपोर्ट दिनांक 26.03.2010के सम्बन्ध में

लगातार.....3

अपना पक्ष रखने का अपीलार्थी को अवसर ना दिये जाने के बिन्दु पर कथन किया कि चूंकि पूर्व की जांच रिपोर्ट के पश्चात् कोई नया तथ्य सामने नहीं आया था अतः और सुनवाई का अवसर दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपीलीय प्राधिकारी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को विधिसम्मत बताते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की है।

8. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

9. अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आधार में (Grounds of Appeal) में बताया गया है कि उसके द्वारा उस दिन ही 3470 किलो सरसों खरीदी गई थी जो कि ऊंट गाड़ी पर अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर दलाल द्वारा भेजी गई थी जिस माल का बिल माल प्राप्त होने के बाद में भेजा गया था। चूंकि उस माल का बिल उस दिन ही बाद में प्राप्त हुआ था अतः उसका लेखांकन उसी दिन नहीं किया गया सका। इसके अलावा जांच पर घोषित मात्रा से कम पाये गये माल सरसों खल के सम्बन्ध में बताया गया है कि उक्त माल का स्टॉक उसके व्यवसाय परिसर के ही एक गोदाम में पड़ा हुआ था परन्तु जल्दबाजी में उसका स्टॉक नहीं लिया जा सका। इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 17.12.2009 को तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट को निम्नानुसार पुनरूल्लिखित किया जाता है–

> "आज दिनांक 17.12.09 को M/s आर.सी. आइल इण्ड. बडौदा मेव का सर्वेक्षण श्री रमेश चन्द मित्तल फर्म भागीदार एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया गया। माल का भौतिक सत्यापन किया गया जिसकी रिपोर्ट पृथक से संलग्न है। व्यवसाय स्थल पर रोकड़, खाता, स्टॉक रजिस्टर तेल, स्टॉक रजिस्टर सरसों एवं स्टॉक रजिस्टर खल पाया गया। जांच के बाद रोकड दिनांक 17.12.09 प्रारम्भिक रोकड़ पेज नं. 5 दिनांक 17.12.09 पर हस्ताक्षर किये गये। तेल स्टॉक रजिस्टर पेज नं. 5 दिनांक 17.12.09 पेज नं. 21 पर हस्ताक्षर किये गये। माल नकल पर हस्ताक्षर किये। माल नकल बही में कल दिनांक 16.12.09 तक का इन्द्राज किया हुआ है। इसके बाद अभी तक कोई माल नहीं खरीदा है। इस फैक्ट्री परिसर के अलावा इस फर्म का कोई अन्य गोदाम नहीं है। लेखा पुस्तकों के अनुसार आज स्टॉक की स्थिति निम्न प्रकार है –
>
> तेल – 134.17 क्वि.
> खल (सरसों) – 640 क्वि. 34 किलो
> सरसो (सीड) – 1427 क्वि. 54 किलो

लगातार.....4

सर्वे एवं निरीक्षण कार्य श्री एल.एन. गुप्ता वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत 'अ' अलवर, श्री इन्द्र देव आर्य स.वा.क.अ. घट II वृत्त 'अ' अलवर, श्री अशोक बोहरा स.आ. एवं मनोज सिंघल वा. कर निरीक्षक द्वारा व्यवसाय स्थल पर किया गया।"

10. उक्त निरीक्षण रिपोर्ट जिस पर कि अपीलार्थी फर्म के भागीदार श्री रमेश चन्द मित्तल के हस्ताक्षर हैं, में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि **"माल नकल बही में कल दिनांक 16.12.09 तक का इन्द्राज किया हुआ है। इसके बाद अभी तक कोई माल नहीं खरीदा है। इस फैक्ट्री परिसर के अलावा इस फर्म का कोई अन्य गोदाम नहीं है"**, अतः बाद में अपील स्तर पर यह कथन करना कि सर्वेक्षण तिथि अर्थात् 17.12.2009 को ही कुछ माल खरीदा गया था जो कि ऊँटगाड़ी से लाया गया था, विश्वसनीय प्रकट नहीं होकर पश्चविचारित (afterthought) की गई कार्यवाही पाई जाती है। इसी प्रकार व्यवसाय स्थल पर पाये गये माल का भौतिक सत्यापन भी फर्म के उक्त वर्णित भागीदार तथा दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया गया था तथा उस समय अपीलार्थी फर्म के उक्त भागीदार द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया था कि कुछ माल (सरसों खल) का स्टॉक किसी अन्य गोदाम में भी पड़ा है। अतः अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में दी गई दलीलें अप्रामाणिक एवं पश्च विचारित (afterthought) पाये जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। परिणामतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया ।

22.12.2017

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य